

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 698वीं बैठक दिनांक 07 / 12 / 2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य |
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No 10688/2023 Shri SATENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय कार्यालय रायसेन(, Geenni Chkampaund Minakshi Chouk, Geenni Kampaund, Raisen (M.P.) Prior Environment Clearance for Motilsar Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 551), Village-Motalsir, Tehsil-Barailly, District-Raisen (MP) -B2.

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 07 / 12 / 23 को परियोजना प्रस्तावक सत्येन्द्र सिंह, खनिज अधिकारी श्री आर. के कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SATENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (संभागीय कार्यालय रायसेन, Geenni Chkampaund Minakshi Chouk, Geenni Kampaund, Raisen (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	551 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	04,00 hectare.
स्थल	Village Motilsar, Tehsil Bareli, District Raisen (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–48,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र पृ. क्रमांक 917 दिनांक 16 / 08 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र पृ. क्रमांक 917 दिनांक 16 / 08 / 2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र पृ. क्रमांक 917 दिनांक 16 / 08 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मोतलसिर जिला रायसेन के पत्र क्रमांक व दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् हेतु सशर्त पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–65 के सरल क्रमांक–1 पर दर्ज है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में लगभग 516 मी पर एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है जिसकी लबाई 484 मी. है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गार्डलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

- परियोजना प्रस्तावक/मार्झिनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

- 2. Case No 10689/2023 Shri SATENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय कार्यालय रायसेन(, Geenni Chkampaund Minakshi Chouk, Geenni Kampaund, Raisen (M.P.) Prior Environment Clearance for Sultanganj Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 385), Village-Sultanganj, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP)-B2.**

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक सत्येन्द्र सिंह खनिज अधिकारी श्री आर.के कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SATENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय(कार्यालय रायसेन, Geenni Chkampaund Minakshi Chouk, Geenni Kampaund, Raisen (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	385 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village-Sultanganj, Tehsil Udaipura, District Raisen (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 921 दिनांक 16/08/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 921 दिनांक 16/08/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 921 दिनांक 16/08/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बौरास जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक 16/08/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खदान संचालन का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र लगभग जलमग्न है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—66 के सरल क्रमांक—27 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च एंवं अप्रैल माह में नदी में पानी नहीं रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि एक रोडब्रिज खदान क्षेत्र से 2.8 कि.मी दूर स्थित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार रेत की कुल उपलब्धता 90,000 घन मी. तथा गहराई 03 मी. दर्शायी गई है, परन्तु मार्झिनिंग प्लान के अनुसार रेत की मांग 30,000 घन मी. की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एंवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एंवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एंवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एंवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.20 लाख एंवं रिकरिंग राशि रु. 02.33 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, संदूक के पालक शिक्षक संघ में अगलिखित धन राशी जमा कराई जा आएगी	85,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) से 1 से 3 पंक्तियों में (करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	400
2	ग्राम मोतलसिर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नीबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

3. **Case No 10691/2023 Shri Sushil Pathak, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Baroda Sand Quarry in an area of 2.39 ha. (21510 cum per year) (Khasra No. 498), Village-Baroda, Tehsil-Dhimarkheda, District-Katni (MP)-B2.**

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो बेलकुंड नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक सत्येन्द्र सिंह खनिज अधिकारी श्री आर.के कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUSHIL PATHAK, OIC- MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय कटनी, MPSMCL, Near star Recovery home hospital, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	498 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.39 hectare.
स्थल	Village Baroda Tehsil Dhimarkheda District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-21,510 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 21,510 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2139 दिनांक 21/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2139 दिनांक 21/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2139 दिनांक 21/09/23 अनुसार 150 मीटर की दूरी पर कच्चा ग्रामीण मार्ग स्थित है, शेष 500 मीटर की परिधि में नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरौदा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर कहीं कहीं जल भराव हैं।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है।
-----------	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि मार्झिनिंग प्लान के चारों कार्डिनेट से निर्मित केएमएल फाईल में अंतर आ रहा है। इस कारण से समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट शामिल कर पुनः केएमएल फाईल प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण का आंकलन कर समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये।

4. **Case No 10673/2023 Shri Kumher Singh, Owner, Kila Road, Ward No. 16, Ambah, District-Morena (MP)-476111. Prior Environment Clearance for Bhadoli Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (1995 cum per year) (Khasra No. 186, 187, 188, 189), Village-Bhandauli, Tehsil-Ambah, District-Morena (MP)-B2.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kumher Singh, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, मे0. ए.जी.एस. इवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Kumher Singh, Owner, Kila Road, Ward No. 16, Ambah, District-Morena (MP)-476111, Prior Environment Clearance for Bhadoli Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (1,995 cum per year) (Khasra No. 186, 187, 188, 189), Village-Bhandauli, Tehsil-Ambah, District-Morena (MP) [436299]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-186, 187, 188, 189,	एरिया— 1.00 ha., निजि भूमि (सहमति पत्र की प्रति संलग्न)
परियोजना स्थल	ग्राम— भडोली, तहसील – अंबाह, जिला— मुरैना, (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1237 दिनांक 05/10/2021. संशोधित सैंधातिक सहमति पत्र क्र. 1404 दिनांक 12/11/2021.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in In Soil Case).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	स्वाईल — 1,995 घन मी/वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	प्रमाण—पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.160 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत— भडोली (अम्बाह) जिला — मुरैना का ठहराव प्रस्ताव क्र. 06 दिनांक 26/01/2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed-No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा— लगभग 61 मी. की दूरी पर कुछ मकान दिख रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। पश्चिम दिशा— कोटा बैराज कनोल—226 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 21 के सरल क्रमांक — 46 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वार्डल — 1,995 घन मी/वर्ष।
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि खामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि खामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में किलन प्रस्तावित नहीं है।
 - पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 05.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.10 लाख प्रति वर्ष।
 - सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
सी.ई.आर मद से 40,000 की राशि शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम भडोली के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	40,000
योग	

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफिंग मुनगा, पर्पीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150

- Case No 10690/2023 Ms. Surbhi Thakur, Owner, Naval Singh Petrol Pump, Near Khandwa Road, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for Hasinabad Stone (Gitti & M-Sand) Quarry in an area of 4.00 ha. (Expansion from**

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

10584 to 17584 cum per year) (Khasra No. 190), Village-Hasinabad, Tehsil-Khaknar, District-Burhanpur (MP)-B2.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री सुरभी ठाकुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	SURBHII THAKUR, Owner, Naval Singh Petrol Pump Near Khandwa Road, Burhanpur, District: Burhanpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	190 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village: Hasinabad, Tehsil: Khaknar, District: Burhanpur State: (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 9167—68 दिनांक 06/07/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी—1 / बी—2)	बी—2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 100 से 200 मीटर तक रॉक ब्रेकर से खनन् कार्य किया जावेगा एवं 200 मीटर के बाद ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर और एम सेंड—10584 से 17,584 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर और एम सेंड—10584 से 17,584 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 818 दिनांक 18/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 818 दिनांक 18/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 818 दिनांक 18/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान,	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हसीनाबाद जिला बुरहानपुर के प्रमाण—पत्र क्रमांक निरंक दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 02 पेड़ लगे हुये हैं। Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा— पक्का रोड— 139 मी., विद्यालय /भवन — 473 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 929 दिनांक 20/09/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। पूर्व में इसी प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 776 दिनांक 19/05/ 2021 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी परन्तु उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है एवं भू प्रवेश भी नहीं लिया था। समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि पी-2 फार्म के अनुसार प्रस्तावित खनन् क्षेत्र का वर्तमान भू—उपयोग चरनोई भूमि है, अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक लीज क्षेत्र के 02 हे. भूमि तथा अतिरिक्त 02 हे. भूमि ग्रामपंचायत से संपर्क कर चारागाह के रूप में विकसित करेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में क्षेत्र एवं एम सेंड प्लान स्थापित किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर और एम सेंड-10584 से 17,584 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक क्षेत्र के 02 हैं. भूमि तथा अतिरिक्त 02 हैं. भूमि ग्रामपंचायत से संपर्क कर चारागाह के रूप में विकसित करेगा अर्थात् कुल 04 हैं. भूमि में चारागाह विकसित किया जावेगा।
3. एम.सेड प्लॉट हेतु प्रस्तावित स्लरी मेनेजमेंट प्लॉन का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कशर एवं एम प्लाट हेतु समुचित वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था स्थापित कर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.72 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
हसीनाबाद शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ)व्यवस्था	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1600
2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
	ग्रामवासियों हसीनाबाद में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरा, महुआ, कबीट, नींबू बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	ग्राम पंचायत हसीनाबाद के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

6. Case No 10675/2023 Shri Vikrant Gaur, Lessee, R/o B-9, Krishna Puri, Ghari Bhadoriya, Pratap Nagar, District-Agra (UP)-282010, Prior Environment Clearance for Deosari Indore Laterite Deposit Quarry in an area of 3.110 ha. (10000 TPA) (Khasra No. 934, 937), Village-Deosar Indor, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP)-B2.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकांत गौर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VIKRANT GAUR, Lessee, R/o-B-9, Krishna Puri Ghari Bhadoriya, Pratap Nagar Agra (Uttar Pradesh) (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	934,937 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.110 hectare.
स्थल	Village-Deosari Indore, Tehsil- Vijayraghavgarh, District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 16324 दिनांक 28/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटेराईट-10,000 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लेटेराईट-10,000 टीपीए है ।	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1989 दिनांक 24/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1989 दिनांक 24/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1989 दिनांक 24/08/23 अनुसार 350 मीटर पर मानव बसाहट (50 घर) एवं सामुदायिक भवन, 250 मीटर पर शमशान घाट, 440 मीटर पर शैक्षणिक संस्थान एवं आंगनवाड़ी एवं 310 मीटर पर तालाब एवं 250 मीटर पर पक्का रास्ता स्थित है, शेष 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवसरी इंदौर जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-13 दिनांक 26/01/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 65 पेड़ लगे हुये हैं, जिनमें से 20 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित है जिसके एवज में 200 अतिरिक्त पेड़ लगायें जायेंगे।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा—पक्के रोड— 107 मी., आबादी 162 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2136 दिनांक 21/09/23 अनुसार नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि खदान क्षेत्र पहाड़ी पर है जिसकी ऊँचाई लगभग 13 मी. है, पर्यावरण संवेदनशीलता, पशुओं हेतु विचरण, जल के प्रभाव एवं क्षेत्र में उपस्थित जल भण्डार को देखते हुये पहाड़ के एक ही अर्थात् दक्षिण दिशा ही उपयुक्त पाया जाता है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.8 है. पाया गया

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडब्ल्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटेराइट—10,000 टीपीए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 11.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.85 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम देवसरी इंदौर विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में विद्यालय विकास हेतु राशि जमा की जावेगी ।	50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3910 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन एवंगैर खनन क्षेत्र में	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1250
2	गैर खनन क्षेत्र में	करंज, नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, पाकर, पीपलआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150
	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब, इत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री—गार्ड के साथ	60
	ग्रामदेवसरीइंदौरमेंस्थित शासकीय स्कूल के पासउपलब्ध क्षेत्र में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
	ग्रामदेवसरीइंदौरमेंस्थितसामुदायिकभवनमें	नीम, सिस्सू, करंज, पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर, आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री—गार्ड के साथ	50
	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहलआदिअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2350

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये ।

गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

7. Case No 10687/2023 Shri Ambuj Jain, Owner, House No. 472, Ward No. 13, Bagharaji, District-Dindori (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bhardwara Mal Stone (Gitty) Quarry in an area of 2.900 ha. (16055 cum per year) (Khasra No. 85, 89/1), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-B2.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अबुंज जैन, Lessee (Online) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संरक्षण का नाम व पता	Shri Ambuj Jain, Owner, House No. 472, Ward No. 13, Bagharaji, District-Dindori (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bhardwara Mal Stone (Gitty) Quarry in an area of 2.900 ha. (16,055 cum per year) (Khasra No. - 85, 89/1), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [444311]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 85, 89/1,	एरिया— 2.900 ha., निजि भूमि (सहमति प्राप्त)
परियोजना स्थल	ग्राम— भरद्वारा, तहसील — शाहपुरा, जिला— डिण्डोरी (म.प्र.).	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र क्र. 151ए दिनांक 30/05/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी—2.	
जल / वायु सम्मति नवीनीकरण	लागू नहीं।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Blasting is Not Needed (Mining will be carried out by using Drilling & Rock Breaker.)	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	Stone – 16,055 Cum / Year.,	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 153 दिनांक 30/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकमा 4.90 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 153 दिनांक 30/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 153 दिनांक 30/05/2023 अनुसार नहर—300 मी., पक्का रास्ता — 200 मी. तथा सूखा नाला — 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	नगर पंचायत— खरखेड़ा जिला — डिण्डोरी का ठहराव प्रस्ताव क्र. 16 दिनांक 31/01/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा— पक्का रोड 75 मी., दक्षिण पूर्व दिशा— आबादी 422 मी. पूर्व दिशा— प्राकृतिक नाला 17 मी. दूरी पर है। पश्चिम दिशा— पक्का रोड 101 मी.,
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के पत्र क्रमांक 420 दिनांक 19/09/23 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर 13 में समावेश कर लिया गया है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
शिकायत पत्र के संबंध में टीप	MPSEIAA कार्यालय के पत्र क्रमांक 1973/SEIAA/2023 दिनांक 19/09/23 द्वारा स्वीकृत <u>लीज</u> /पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन में फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव व ग्राम पंचायत का अनापत्ति लगाये जाने की शिकायत—पत्र प्रेषित कर लेख किया गया है।

समिति ने परीक्षण के दोरान पाया कि MPSEIAA कार्यालय के पत्र क्रमांक 1973/SEIAA/2023 दिनांक 08/11/23 के माध्यम से एक शिकायत सेक कार्यालय को पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की गई है। शिकायत में उल्लेख है कि :-

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

- प्रस्तावित परियोजना हेतु जारी ग्रामसभा प्रस्ताव में अध्यक्ष श्री अघनू सिंह मसराम के अंगूठा चिन्ह के निशान लगायें गये हैं जो कि फर्जी है।
- सभा अध्यक्ष एवं ग्रामवासियों को आपत्ति है क्यों कि उक्त स्थान जल संसाधन द्वारा बनाई गई मेन केनाल 30 मी. पर स्थित है। मेन केनाल से माइनर पक्की नहर खसरा न. 89/1 चारों तरफ निकली हुई है जिससे ग्रामवासियों के खेत में पानी जाता है। यदि कशर के लिये अनुमति दी जाती है तो इससे तो इससे केनाल क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा ग्रामवासीयों को सिचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पायेगा।
- एमपीआरडीसी सड़क, 90 मी. की दूरी पर स्थित है जिससे मुख्य मार्ग में प्रदूषण फैलने की संभावना है। उक्त खसरे के पीछे की तरफ 20 मीटर में नाला स्थित है जिसमें पशुओं के पीने के लिये पानी का भराव रहता है।

प्रकरण पर चर्चा के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि :-

- पक्का रोड लगभग 75 मी., परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। अतः उनके द्वारा 25 मी. का सेटबेक प्रस्तुत किया गया है।
- लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला लगभग 17 मी. दूरी पर स्थित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान सिया से प्राप्त शिकायत की प्रति मांगने पर समिति द्वारा उपलब्ध करा दी गई। प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण / जानकारी चाही गई थी:-

- लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में प्राकृतिक नाला लगभग 17 मी. दूरी पर है। अतः नाले के परिप्रेक्ष्य में रथानवार मापदण्ड अनुसार सेटबेक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- प्राप्त शिकायत जिसमें उल्लेख है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु जारी ग्रामसभा प्रस्ताव में अध्यक्ष श्री अघनू सिंह मसराम के अंगूठा चिन्ह के निशान लगायें गये हैं जो कि फर्जी है के संबंध में तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर जानकारी प्रस्तुत करें।
- शिकायत के अनुसार जल संसाधन द्वारा बनाई गई मेन केनाल 30 मी. पर स्थित है। मेन केनाल से माइनर पक्की नहर खसरा न. 89/1 चारों तरफ निकली हुई है जिससे ग्रामवासियों के खेत में पानी जाता है। इस संबंध में तथ्यों के आधार पर केनाल सेफटी हेतु प्रस्ताव के साथ विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।
- प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान (गूगल एमेज अनुसार) समिति ने पाया था कि खदान के समीपस्थ उत्तर पूर्व दिशा में एक खदान संचालित दिख रही है, इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। अतः इसकी जांच संबंधित खनिज अधिकारी से जांच करवाकर प्रस्तुत करें।

- Case No 10674/2023 Shri Nemichand Shivhare, Lessee, R/o Ward No. 16, Bhoj Mohalla, Near Sitaram Mandir, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment**

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

**Clearance for Prempurah Soil Quarry in an area of 2.00 ha. (2500 cum per year)
(Khasra No. 38), Village-Prempura Habeli, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)-B2.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Nemichand Shivhare, Lessee (Online) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Nemichand Shivhare, Lessee, R/o Ward No. 16, Bhoj Mohalla, Near Sitaram Mandir, District-Sheopur (MP)-476337, <i>Prior Environment Clearance for Prempurah Soil Quarry in an area of 2.00 ha. (2,500 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Prempura Habeli, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) [445177]</i>	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-38,	एरिया— 2.00 ha., निजि भूमि (भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त)
परियोजना स्थल	ग्राम— प्रेमपुरा हबेली, तहसील – श्योपुर, जिला— श्योपुर, (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 7491 दिनांक 10/08/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in In Soil Case).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	स्वाईल — 2,500 घन मी/वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 9457 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.160 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 9457 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 9457 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 150 मीटर की परिधि में नाला स्थित है तथा 100 मी. की दूरी पर	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	रोड़ स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत— मठेपुरा जिला — श्योपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 28/01/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -01 (NW) Tree Felling - NO
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा— शेड— लगभग 100 मी. पूर्व दिशा— पक्की रोड— लगभग 94 मी., प्राकृतिक नाला— लगभग 136 मी. पश्चिम दिशा— नाला — लगभग 71 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 21 के सरल क्रमांक — 46 पर दर्ज है।

प्रकरण के परीक्षण परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:—

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में किलन से निकलने वाली राखड़ के प्रबंधन का विवरण प्रस्तुत करें।
 2. मृदा परीक्षण (कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक एवं क्लो कन्टेन्ट) का मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षण कर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
 3. उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले ईधन से उत्सर्जित कार्बन के आधार पर कार्बन फुट प्रिंट की जानकारी प्रस्तुत करें।
 4. पूर्व दिशा में प्राकृतिक नाला लगभग 17 मी. दूरी पर है। अतः नाले के परिप्रेक्ष्य में स्थानवार मापदण्ड अनुसार सेटबैक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
9. **Case No 10694/2023 Pooja Agarwal, Owner, 1204, State Bank Colony, Depo No. 2, Post-Hathital, District-Jabalpur (MP)-482002, Prior Environment Clearance for Harduwa Kalan Ochre, Laterite & Clay Mine in an area of 4.79 ha. (81599 TPA) (Khasra No. 1616), Village-Hardua, Tehsil-Majholi, District-Jabalpur (MP)-B2.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक सिद्धार्थ चोपडा अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	POOJA AGARWAL, Owner, 1204, State bank Colony Depo No 2 post Hathital, Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1616 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लॅंड)	04.79 hectare.
स्थल	ग्राम Hardua तसहील Majholi जिला Jabalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय–भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–3 / 41 / 06 / 12 / 2, दिनांक 20 / 04 / 07 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1 / बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite, Ochre & Clay-81,599 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Laterite, Ochre & Clay-81,599 TPA है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 667 दिनांक 14 / 08 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/ स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 667 दिनांक 14 / 08 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 667 दिनांक 14 / 08 / 23 अनुसार 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता एवं 350 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरदुआकलां जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing –परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में कुछ झाड़ियां लगी हुई हैं ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— शेड— लगभग 97 मी.	
	दक्षिण पूर्व दिशा— जल निकाय क्षेत्र लगभग 110 मी.	
	पूर्व / दक्षिण दिशा— कच्चा रोड— लगभग 33 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संबंध में सेटबेक प्रस्तावित किया है ।	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-55 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है ।
----------------------------------	--

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया खदान क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊचाई समीपस्थ भूमि से लगभग 20 मी. है । इस खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है

प्रकरण के परीक्षण परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-

- प्रजाति—वार रूट स्टाक की जानकारी
- ग्राम पंचायत हरदुआकलां जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत करें ।
- इकोलॉजिकल लॉस (फलोरा एण्ड फाउना) की स्टडी मान्यता प्राप्त संस्थान से करवा कर प्रस्तुत करें ।
- उत्सर्जित कार्बन के आधार पर कार्बन फुट प्रिंट की जानकारी प्रस्तुत करें ।
- मार्झनिंग गतिविधि के द्वारा कृषि भूमि पड़ने वाले दूषप्रभावों के अध्यन प्रस्तुत करें ।
- समिति द्वारा सुझायें अनुसार पुर्नरीक्षित पौधा रोपण स्कीम ।
- तथ्यों के आधार पर पुर्नरीक्षित सीईआर ।

10. Case No 10672/2023 Shri Ronak Jain, Lessee, Ward No. 03, Station Banapura, Tehsil-Seoni-Malwa, District- Narmadapuram (MP)-461223, Prior Environment Clearance for Gondikharar Stone Quarry in an area of 1.95 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 93), Village-Gondikharar, Tehsil- Dolariya, District- Narmadapuram (M.P.)-B2.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07 / 12 / 2023 को परियोजना प्रस्तावक रौनक जैन ऑनलाईन, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ronak Jain, Lessee, Ward no.03, Station Banapura , Tehsil- Seoni Malwa, District- Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	93 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.950 hectare.
स्थल	Village.-Gondikharar , Tehsil- Dolariya, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 294–95 दिनांक 06 / 01 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—10,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 14/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 03.950 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 14/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 14/09/23 अनुसार 05 मीटर की दूरी पर ग्रामीण कच्चा रास्ता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बुंडारा कलां जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—7 दिनांक 02/10/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् का प्रस्ताव पारित है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 02 पेड़ लगे हैं जिनमें से 01 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित है जिकी एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगायें जावेंगे।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— कच्चा रोड— लगभग 29 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेटबेक प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम दिशा— आबादी—235 मी. एवं लगभग 11 मी., 108 मी. पर एक या दो मकान स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि यह पुराने कशर की (abundent) अबन्डेन्ट स्ट्रक्चर है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 1188 दिनांक 20/09/23 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त उत्खनिपट्टा को अद्यतन कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	------------------------------

समिति ने परीक्षण के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खनन कार्य में जो प्रजाती पौधे झाड़ी या वृक्ष के रूप में है यद्यपि उनका स्वभाव वृक्ष प्रजाती का है तो उन्हीं प्रजाती के पौधे झाड़ी की पहचान कर वृक्षारोपण योजना में शामिल किया जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—10,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्षार प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है । अतः खदान क्षेत्र में क्षार स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.07 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गंव चोतलाय ग्राम पंचायत में अधोसंरचना विकास हेतु राशि जमा करवाई जावेगी	50,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2350 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन एवं गैर खनन क्षेत्र में	खमेर, कालासिरिस, सफेदसिरिस, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरोलआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	640
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपलआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री—गार्ड के साथ	140
	ग्राम के निकटस्थित मंदिर के पास उपलब्ध क्षेत्र में	नीम, सिस्सू, पीपल, बरगद, कदम्ब, पाकर, पुत्रंजीवा, सप्तपर्णीआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री—गार्ड के	50

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

		साथ	
	ग्रामीणोंमेंपौधोंकावितरण	संतरा, आमला, नींबू सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहलआदि अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1520
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

11. Case No 9693/2023 Shri Lokendra Rathore S/o Suraj Narayan Rathore, Owner, R/o Ratan Colony, Jiwajiganj Gird, Tehsil-Lashkar, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.500 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP)-EIA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Lokendra Rathore** ऑनलाईन, एवं उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे.ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि.गाजियाबाद (उ.प्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

S N	Projects Details			
1.	Name of the project/ Company/ Organisation.	Shri Lokendra Rathore S/o Suraj Narayan Rathore, Owner, R/o Ratan Colony, Jiwajiganj Gird, Tehsil-Lashkar, District-Gwalior (MP)-474001,		
2.	Name of the Applicant and Address.	<i>Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.500 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. - 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP).</i>		
3.	Env. Consultant:	Shri Krishna Chandra Panda, M/s Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.(U.P.). Valid up to 04/08/24.		
4.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private).	Kh No. - 954,	1.500 Ha.	Govt. Land.
5.	Location of Project	Khasra No. - 954, Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (M.P.).		
6.	ToR Status.	ToR Recommended in 631 st SEAC Meeting dated		

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

		18/03/2023. ToR letter issued by MPSEIAA vide letter No. 121 dated 17/04/2023.
7.	Project Cost Rs.	50 Lakh.
8.	Production Quantity in m3/year.	Stone – 5000 Cubic Meter/Year,
9.	Date of Public Hearing.	16/08/2023.
10.	Google image status	Coordinates as per Mine Plan Page No. – 9.

Documentary Details

11.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 26 date 03/01/23. 03 more mine Total Area – 7.320 ha.
12.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI.	Ordet No. 1319 date 20/12/2022.
13.	Tehsildar Certificate.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 26 date 03/01/23.
14.	DFO NOC.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 26 date 03/01/23.
15.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Letter No. 05 dated 15/07/2021.
16.	Production Quantity as per Approved Mining Plan.	Stone - 5000 Cubic Meter/Year,
17.	DSR:	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्र. 26 दिनांक 03/01/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
18.	गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं। खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 253 मीटर की दूरी पर बांध स्थित है एवं उत्तर दिशा– कच्चा रोड– लगभग 29 मी. पर है।

प्रकरण का परीक्षण

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कार्यालय ग्राम पंचायत, जाखौदा, जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई), जिला ग्वालियर द्वारा आपत्ति दर्ज की है। पत्र में उल्लेख है कि उक्त खदानों के संचालन से बांध एवं नहर की क्षति संभव है, जिससे जाखौदा एवं आस

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

पास के ग्रामीणों को जनहानि होगी बांध की सुरक्षा को देखते हुये इससे पूर्व भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा क्षेत्र की खदाने बंद कर दी गई थी।

प्रकरण का परीक्षण पर्यावरणीय संवेदनशील बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तत्पश्चात् परीक्षण उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-

1. उपरोक्त शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे।
- 2- गारलैण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की साईज की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जायें।
- 3- 05 वर्ष का सरफेस प्लान बैच सहित एवं खदान का कान्सेच्युवल प्लान प्रस्तुत करें।
- 4- क्षेत्र की हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

12. Case No 10681/2023 Shri Vishal Raghuvanshi, Owner, R/o Ashok Nagar Road, Khamkheda, District-Guna (MP)-473101, Prior Environment Clearance for Khamkheda Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (10830 cum per year) (Khasra No. 136/2/k), Village-Khamkhera, Tehsil-Aron, District-Guna (MP)-TOR.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vishal Raghuvanshi, Owner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंग एवं श्री सौरभ त्यागी, मे.0. एम्बिएटल ग्लोबल प्रा. लि. गाजियाबाद, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vishal Raghuvanshi, Owner, R/o Ashok Nagar Road, Khamkheda, District-Guna (MP)-473101, Prior Environment Clearance for Khamkheda Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (10,830 cum per year) (Khasra No. 136/2/k), Village-Khamkhera, Tehsil-Aron, District-Guna (MP) [441497]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-136/2/k,	एरिया- 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम- खामखेरा, तहसील - आरोन, जिला- गुना (म.प्र.).	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र क्र. 3175 दिनांक 20/03/2018.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1. प्रस्तावित टॉर हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है।	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	वैद्यता दिनांक 21/03/2021 तक।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting Proposed (As per Mine Plan Chapter – IV) Single Row Blasting(As per Parivesh Portal information given).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

उत्पादन क्षमता	स्टोन – 10,830 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 335 दिनांक 14/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 335 दिनांक 14/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 335 दिनांक 14/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत- खामखेड़ा जिला - गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र.02 दिनांक 28/12/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पिट का उल्लेख माईनिंग प्लान के पेज नं. 15 में किया गया है। उत्तर दिशा— कच्चा रोड 155 मी पूर्व दिशा— पक्का रोड 155 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 33 के सरल क्रमांक — 27 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

- प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा— कच्चा रोड 155 मी एवं पूर्व दिशा— पक्का रोड 155 मी स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- आवंटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओहर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

13. Case No 10683/2023 Shri Hiralal Patidar, Lessee, R/o Village-Dharad, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457441, Prior Environment Clearance for Naugawakala Murrum Quarry in an area of 4.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 3/11), Village-Naugawan Kalan, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) (TOR)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07 / 12 / 2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री हीरालाल पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजराज उपरिथित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri HIRALAL PATIDAR, Lessee, R/o-Village- Dharad, Tehsil & District-Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	3/11 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village - Naugawakala, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 26 / 05 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1579 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 12.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1579 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1579 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नौगावांकलां जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—9 दिनांक 17/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा— कच्चा रोड लगभग 33 मी एवं शेड लगभग 233 मी. दक्षिण दिशा— भवन लगभग 218 मी पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 33 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1579 दिनांक 20/07/23 अनुसार उक्त उत्थनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर पूर्व दिशा में कच्चा रोड लगभग 33 मी. भवन लगभग 218 मी. एवं पश्चिम दिशा में पक्का रोड लगभग 33 मी. स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. खदान क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु जगह –जगह गढ़े खुदे हुये हैं, इन गढ़ों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण कार्य हेतु किया गया था व इन पर कितना व्यय हुआ की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्ड लाइफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

14. **Case No 10685/2023 Shri Pawan Khatik, Partner, M/s S.S. Infra, R/o Veer Sawarkar Market, Dukar No. 5, District-Shivpuri (MP) Prior Environment Clearance for Muhal Dehar Stone Quarry in an area of 3.279 ha. (38475 cum per year) (Khasra No. 119), Village-Muhal Dehar, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [440610] DEIAA TO SEIAA (TOR).**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pawan Khatik, Partner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Pawan Khatik, Partner, M/s S.S. Infra, R/o Veer Sawarkar Market, Dukar No. 5, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Muhal Dehar Stone Quarry in an area of 3.279 ha. (38,475 cum per year) (Khasra No. - 119), Village-Muhal Dehar, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [440610]
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-119, एरिया— 3.279 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम— मुहाल देहार, तहसील— सधौरा, जिला— अशोकनगर (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 417 दिनांक 11/07/2019.
परियोजना की श्रेणी	बी—1. प्रस्तावित टॉर हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है।
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	वैद्यता दिनांक 11/01/2021 तक।
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Deep Hole Blasting will be adopted. .
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC was issued by DEIAA Ashoknagar EC issued by DEIAA, MP vide letter No. 12/DEIAA/16, dated: 20.12.2016
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 38,475 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 646 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 7.589 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 646 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 646 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	नगर पंचायत— शाढ़ौरा जिला — अशोकनगर का ठहराव प्रस्ताव क्र. 385 दिनांक 17/05/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 33 के सरल क्रमांक – 27

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	पर दर्ज है।
--	-------------

प्रस्तावित खदान की डिया के पत्र क्रमांक 12/DEIAA/16, dated: दिनांक 20.12.2016 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. खदान के समीपस्थ दक्षिण—पश्चिमी दिशा में एक पहाड़ी है जिस पर खनन् कार्य संचालित दिख रही है, इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। अतः इसकी जांच संबंधित खनिज अधिकारी से जांच करवाकर प्रस्तुत करें।
21. मृदा परीक्षण (कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक एवं क्ले कन्टेन्ट) का मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षण कर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

15. Case No 10682/2023 Shri Akhilesh Goswami, Owner, R/o Goswami Dharamkanta, Gram-Pathra, Post-Badhora No. 1, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Barchheka Laterite & Fireclay Deposit in an area of 12.00 ha. (Laterite – 4,949 TPA, Fireclay Deposit – 46,111 TPA and Mine Waste – 8560 TPA) (Khasra No. 79, 80), Village-Parbal, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP) (TOR).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07 / 12 / 2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अखिलेश गोस्वामी ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, Goswami Dharamkanta, Gram Pathra, Post- Badhora No. 1, Tehsil- Badwara, Dist. Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	79 and 80 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	12.00 hectare.
स्थल	ग्राम PARBAL तसहील Vijayraghavgarh जिला Katni (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1437 दिनांक 02 / 02 / 22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट-4,949 टीपीए, फायरक्ले-46,111 टीपीए एवं माइन वेस्ट-8,560 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लेटराईट-4,949 टीपीए, फायरक्ले-46,111 टीपीए एवं माइन वेस्ट-4076 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 11/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 11/08/23 अनुसार 180 मीटर पर आबादी, 65 मीटर पर शासकीय स्कूल, 48 मीटर की दूरी पर नहर एवं 140 मीटर की दूरी पर बरछेका पढ़वई मार्ग स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है। नहर एवं स्कूल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़े जाने का उल्लेख भी है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरझेंका जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 08/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान खेत्र में कई सारे पेड लगे हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— आबादी लगभग 10 मी. दक्षिण पश्चिम दिशा— पक्की रोड लगभग 82 मी. एवं 01 कच्ची रोड लीज के दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर निकल रही है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में आबादी लगभग 10 मी., एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में पक्की रोड लगभग 82 मी. एवं एक कच्ची रोड लीज के दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर निकल रही है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. सामाजिक आर्थिक कार्य के लिये गांव में भ्रमण करके जरूरत के आधार पर सीईआर योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

16. Case No 10684/2023 Shri Yashpal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, 6th KM, Sagar Road, Dhadari, P.O & District - Chhatarpur (M.P) - 471001, Prior Environment Clearance for Maniya Stone, Boulder & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (191100 TPA) (Khasra No. 2198P), Village-Maniya, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) (TOR).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अखिलेश सोनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Yashpal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, 6th KM, Sagar Road, Dhadari, P.O & District - Chhatarpur (M.P) Pin code - 471001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	2198 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	04.00 hectare.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

(सरकारी / निजी)	
स्थल	ग्राम Maniya तसहील Rajnagar जिला Chhatarpur (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 8118-21 दिनांक 27/06/23 के द्वारा स्वीकृत है।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone, Boulder & M Sand-1,91,100 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-38,220 टीपीए, एम सेंड-1,14,660 टीपीए एवं बोल्डर-38,220 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2389 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 18.100 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2389 दिनांक 15/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2389 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मनिया जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 16/08/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान खेत्र में कई सारे पेड लगे हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा- रेल्वे ट्रेक लगभग 100 मी. पर स्थित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2757 दिनांक 05/10/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	--

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में रेल्वे ट्रैक लगभग 100 मी. पर की ओर निकल रही है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। अतः प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्वोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) प्रस्तुत करें साथ ही खनिज अधिकारी से उक्त माइनिंग क्षेत्र के खननकर्ता कौन है उसकी सूची भी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. सरफेस रन ऑफ स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. आवंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है। अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

17. **Case No 10686/2023 Ms. Vavita Devi, Lessee, R/o Gandhi Nagar, Bhind Hall C.H. 127, DD Nagar, District-Gwalior (MP)-477001, Prior Environment Clearance for Pahad Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-12000, Overburden-6316 cum per year) (Khasra No. 4/2), Village-Pipahadi, Tehsil-Gohad, District-Bhind (MP) (TOR).**

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Ms Vavita Devi, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Ms. Vavita Devi, Lessee, R/o Gandhi Nagar, Bhind Hall C.H. 127, DD Nagar, District-Gwalior (MP)-477001, Prior Environment Clearance for Pahad Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-12000, Overburden-6316 cum per year) (Khasra No. 4/2), Village-Pipahadi, Tehsil-Gohad, District-Bhind (MP) [413582].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-4/2,	एरिया— 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम— पिपाहाड़ी, तहसील – गोहद, जिला— भिण्ड (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 13615 दिनांक 03/10/2022.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1. प्रस्तावित टॉर हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है।	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	लागू नहीं।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controled Blasting.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	Stone - 12000 Cum / Year., Overburden - 6316 Cum / Year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 593 दिनांक 13/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 7.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 646 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 646 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	नगर पंचायत— गोहद जिला — भिण्ड का ठहराव प्रस्ताव पत्र क्र. 3145 दिनांक 29/10/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है एवं खदान क्षेत्र में से एक कच्ची रोड निकल रहीं हैं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 593 दिनांक 13/04/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम खदान स्वीकृति/संचालन उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. खदान क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। अतः प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की झोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) प्रस्तुत करें साथ ही खनिज अधिकारी से उक्त माइनिंग क्षेत्र के खननकर्ता कौन है उसकी सूची भी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खदान क्षेत्र के में से एक कच्ची रोड निकल रहीं हैं तथा खदान क्षेत्र के आस पास बहुत से मार्ग दिख रहे हैं। इन सबकी जानकारी एवं संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है। अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. चूंकि आवंटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शुद्धि पत्र।

1. Case No 9592/2022 Shri Munendra Singh, Partner, M/s MGLS Mining Company, R/o Narwariya, Panchsheel Nagar, District-Datia (MP)-475661. Prior Environment Clearance for Bahangikalan Laterite Deposit in an area of 9.010 ha. (Khasra No. - 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village- Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)-EIA.

प्रकरण की समीक्षा समिति की 697वीं बैठक दिनांक 23 / 11 / 2023 में की गई थी। उक्त बैठक के मिनिट्स में प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जारी एडीएस में निम्नानुसार टाइपिंग त्रुटि में सुधार किया जाता है :—

प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण / जानकारी चाही गई है :—

- स्पष्ट करें खदान के लिये आवंटित खसरों में से चारागाह का खसरा कमांक कौन सा है एवं उसका क्षेत्रफल खदान के कुल रकबे में से कितना है।
- चारागाह विकास के लिये ग्राम पंचायत से परामर्श करते हुये स्थान, क्षेत्रफल एवं उर्पयुक्त बजट सहित ईएमपी प्रस्तुत करें।
- PM2.5 एवं PM10 के संदर्भ में प्रयुक्त मॉडल में इनपुट वेल्यू (पैरामीटर्स) विचार किये गये थे, साथ ही इन वेल्यू का सोर्स क्या है तथा यह वेल्यू जिस भी ऐजेन्सी / संस्थान द्वारा मॉनिटरिंग की गई थी उनके एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया जावें।
- पुनरीक्षित सीईआर योजना।

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु -

1. डिया के ए-एप्राईसल प्रकरणों की समीक्षा के संबंध में समिति द्वारा चर्चा कर, निर्देश प्राप्ति हेतु प्रस्ताव सिया भेजा गया।

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

2. रेत खनन् के प्रकरणों में ईसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तों के क्रियाक्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन् प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जाये:—

- विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

1. सस्टेनेविल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गार्डलाईन्स, 2016 के पृष्ठ क्रमांक—51 (iii)

(a) में निम्नानुसार उल्लेख है :—

- About river sand minining it says that:
- (iii).a the minig activity shall be done manually. The depth of mining shall be restricted 03 meters / water level, which ever is less.
- उपरोक्तानुसार गार्डलाईन का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश की नदियों में रेत खनन् के परिप्रेक्ष्य में केवल मैन्युअल माईनिंग ही मान्य होगी।



(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव



(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipm
13. ents and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
14. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
15. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
16. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
17. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
18. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
19. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

20. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
21. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
22. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
23. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
24. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
25. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
26. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
30. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
31. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
32. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
33. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
34. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

35. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
36. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
37. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclaims and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacent agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 दिसम्बर 2023

23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन मे स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान मे रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय मे रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फैसिंग/ ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/ नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/ स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी. गोलाई मे)		
	तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

698वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 दिसम्बर 2023

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पर्यायों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड—बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह बदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।